रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226680 CG-DL-E-16042021-226680

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2021/चैत्र 26, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2021/CHAITRA 26, 1943

No. 221]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 278(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्निलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अविध समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

<u>प्रारूप नियम</u>

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम 1.10.2021 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित), नियम 63 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् नियम "63(क):

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 (2) के तहत आवश्यक स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियम परिशिष्ट XV में विनिर्दिष्ट हैं।

3. उक्त नियमों में परिशिष्ट XIV के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

2320 GI/2021 (1)

"परिशिष्ट XV

स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण

- 1. संक्षिप्त नाम और आरंभ इन नियमों को **स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियम** कहा जा सकता है।
- 2. प्रयोज्यता- ये नियम स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण से संबंधित हैं, इस तरह के स्वचालित परीक्षण स्टेशनों द्वारा स्वचालित परीक्षण करने और फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।
- 3. परिभाषाएं इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (1) "अधिनियम" से अभिप्रेत मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) है।
- (2) "स्वचालित परीक्षण स्टेशन" से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी स्वचालित परीक्षण सुविधा, जहां इन नियमों के अनुसार फिटनेस परीक्षण किया जा सकता है।
- (3) "फिटनेस प्रमाण-पत्र" से अभिप्रेत है मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 (1) में विनिर्दिष्ट किसी निर्धारित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन द्वारा प्रपत्र 38 में जारी किया गया प्रमाण-पत्र, जिसका आशय यह है कि वाहन वर्तमान समय में मोटर यान अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं के अनुपालन में है।
- (4) उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ "पंजीकरण प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशनों/सुविधाओं को पंजीकृत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा नामित अधिकारी है।
- (5) नियम 12 के प्रयोजनार्थ "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई भी अधिकारी जो किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परीक्षण परिणाम के विरूद्ध अपील की समीक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नामित परिवहन आयुक्त के पद से कम स्तर का ना हो।
- (6) "पंजीकरण प्रमाण-पत्र" से अभिप्रेत है प्राधिकरण प्राधिकारी द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन को प्रपत्र 59 में प्रदान किया गया प्राधिकृति प्रमाण-पत्र।
- (7) "स्वामी" से अभिप्रेत कोई व्यक्ति, कंपनी, लोगों का संगठन या निकाय या विशेष प्रयोजन वाहन या राज्य सरकार सहित कोई व्यक्ति है, जो किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन का पंजीकृत स्वामी है;
- (8) "ऑपरेटर" से अभिप्रेत कोई व्यक्ति, कंपनी, लोगों का संगठन या निकाय या विशेष प्रयोजन वाहन या राज्य सरकार सिहत कोई व्यक्ति, जो प्रबंधन के कार्य-कलाप और स्वचालित परीक्षण स्टेशन के संचालन जैसे कर्मचारियों की भर्ती, वाहनों का परीक्षण करने, संपूर्ण संचालन की समग्रता सुनिश्चित करने और इन नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा आयेजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- (9) "एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ईएलवी)" से अभिप्रेत है सभी वाहन, जो अब वैध रूप से पंजीकृत नहीं हैं; या उनका पंजीकरण मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय IV के तहत रद्द कर दिया गया है; उक्त नियमों में विनिर्दिष्टानुसार परीक्षण /पुनर्परीक्षण करने के पश्चात् अनिफट घोषित किया गया; या किसी अदालत के किसी आदेश के कारण या वैध पंजीकृत स्वामी द्वारा स्वयं आग, क्षति, यांत्रिक खराबी, प्राकृतिक आपदा, दंगों या दुर्घटनाओं आदि किसी भी परिस्थिति के कारण किसी भी वाहन को बेकार वाहन घोषित किया गया।
- **4. स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए प्राधिकृति प्रक्रिया** (1) किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन का कोई भी संचालक पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 59 में दिए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना किसी वाहन को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा या उसे नवीनीकृत नहीं करेगा।
- (2) उप-नियम (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए एक आवेदन प्रपत्र 60 में उस क्षेत्र, जिसमें स्टेशन स्थित है, के अधिकार क्षेत्र वाले पंजीकरण प्राधिकारी को करना होगा और उसके साथ देना होगा-
 - (क) नियम 17 में विनिर्दिष्टानुसार उचित शुल्क;
 - (ख) नियम 17 में विनिर्दिष्टानुसार प्रतिभूति जमा
- (3) पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय एक पंजीकरण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक नियमों 5 से 8 में विनिर्दिष्टानुसार सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है।
- (4) उप-नियम (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक ने उप-नियम (3) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तब पंजीकरण प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रपत्र 59 में पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान या नवीनीकृत कर सकता है।
- बशर्ते कि पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बगैर और इस तरह की अस्वीकृति के कारण लिखित में दिए बिना पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए कोई भी आवेदन पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (5) पंजीकरण प्रमाण-पत्र के पंजीकरण, अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए आवेदन पर आपत्तियों/टिप्पणियों के संबंध में सभी जानकारी के साथ-साथ अस्वीकृति के कारणों को केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्टानुसार उप-नियम (4) के तहत इस तरह के आदेश को पारित करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर ऐसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- **5. पात्रता** (1) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन का स्वामी राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, कंपनी, लोगों का संगठन या निकाय या विशेष प्रयोजन वाहन, सार्वजनिक या निजी साझेदारी के माध्यम से या अन्यथा हो सकता है।
- (2) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन का संचालक राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, कंपनी, लोगों का संगठन या निकाय या विशेष प्रयोजन वाहन, सार्वजनिक या निजी साझेदारी के माध्यम से या अन्यथा हो सकता है।
- (3) उप-नियमों (1) और (2) में निहित होने के बावजूद एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन का स्वामी भी ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन का संचालक हो सकता है।
- (4) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के मालिक और संचालक के पास होंगे:
 - i. निगमन प्रमाण-पत्र
 - ii. वैध जीएसटी प्रमाण-पत्र
 - iii. वैध पैन
- (5) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के संचालक के पास नियम 8 के अनुसार पर्याप्त वित्तीय संसाधन और पर्याप्त रूप से योग्य जनबल होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन का संचालन और रखरखाव जारी रहे।
- **6. हितों का टकराव** (1) संचालन के दौरान ऐसे हितों का टकराव नहीं होगा, जो किसी स्वचालित परीक्षण केंद्र के संचालक के वित्तीय या व्यावसायिक हित और इन नियमों के तहत उनके दायित्वों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं या कथित हो सकते हैं।
- स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनार्थ वित्तीय या व्यावसायिक हित से अभिप्रेत है किसी भी व्यक्तिगत, वित्तीय, या अन्य विचार, जिसमें एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के संचालक के व्यावसायिक व्यवहार को प्रभावित या समझौता करने की क्षमता हो।
- (2) स्वचालित परीक्षण स्टेशन केवल परीक्षण सुविधा के रूप में कार्य करेगा और वह वाहनों की मरम्मत या ऑटो स्पेयर्स (कल-पुर्जों) की बिक्री या विनिर्माण से संबंधित कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा।
- (3) परीक्षण अधिकारियों के लिए वाहन के मेक और टाइप से संबंधित परीक्षण परिणामों से जुड़ी सूचना की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होगा।
- (4) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के संचालक हर समय, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्य करेंगे और प्रपत्र-60 में विनिर्दिष्टानुसार उप-नियमों (1), (2) और (3) के प्रावधानों के संबंध में एक वचनपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।
- 7. अवसंरचना की आवश्यकता (1) परीक्षण, निरीक्षण और फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ किसी भी परीक्षण लेन का उपयोग किया जाएगा, जिसकी 2-पहिया/3-पहिया के परीक्षण के लिए न्यूनतम लेन क्षेत्र 500 वर्ग मीटर, हल्के मोटर वाहन/मध्यम/भारी मोटर वाहन 1500 वर्ग मीटर के रूप में होगा।
- (2) स्वचालित परीक्षण स्टेशन में निम्नलिखित तालिका के अनुसार परीक्षण लेन के लिए निर्धारित स्थान और बुकिंग/कैश काउंटर, प्रतीक्षा क्षेत्र, आईटी सर्वर और वर्क स्टेशन, शौचालय आदि के लिए प्रशासनिक ब्लॉक होगा।

क्र.सं.	.सं. परीक्षण लेन का न्यूनतम आयाम (मी)		मध्यम और भारी मोटर वाहन
		वाहन	
1	लंबाई	38	38
2	चौड़ाई	7	7
3	प्रवेश पर मोड़ के लिए न्यूनतम लंबाई	10	18
4	निकास पर मोड़ के लिए न्यूनतम लंबाई	10	18

- (3) सुरक्षा क्षमता युक्त उपकरणों, जेनसेट्स, एयर कंप्रेसर, निर्बाध विद्युत स्रोत (यूपीएस), वाटर कूलर, अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन प्रणाली के साथ के साथ ट्रांसफार्मर, लो टेंशन/हाई टेंशन पैनल जैसी उपयोगी सुविधाएं लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। परीक्षण लेन क्षेत्र को पर्याप्त वातायन व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- (4) स्वचालित परीक्षण स्टेशन में परीक्षण के लिए लाए गए वाहनों के लिए पार्किंग और निर्बाध आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान होगा।

- (5) अनुप्रयोज्यानुसार वाहन डेटाबेस तक सुरक्षित पहुंच के लिए आईटी प्रणाली हेतु आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणन उपलब्ध कराया जाएगा।
- (6) परीक्षण उपकरण और आईटी अवसंरचना अनुबंध-XIII के अनुसार होंगे।
- 8. जनबल की आवश्यकता (1) प्रति पारी लेन की संख्या के आधार पर आवश्यक न्यूनतम जनबल निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.	पद	आवश्यक न्यूनतम जनबल	न्यूनतम योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्र प्रमुख/प्रबंधक	1	कम से कम 10 वर्ष के पेशेवर अनुभव,जिसमें वाहन निरीक्षण, विनिर्माण या मरम्मत में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव शामिल हो, के साथ ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक।
2.	आईटी प्रभारी/प्रणाली विश्लेषक	2	हार्डवेयर और नेटवर्किंग में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के साथ कंप्यूटर साइंस में एमसीए या बी.ई.
3.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	2	कंप्यूटर के मूल ज्ञान के साथ कोई भी स्नातक डिग्री।
4.	चालक (एलएमवी/एचएमवी)	2 प्रति लेन प्रति पारी	परिवहन वाहन चलाने के लिए कम से कम 5 वर्ष के ड्राइविंग अनुभव के साथ ड्राइविंग लाइसेंस।
5.	लेन प्रभारी/पर्यवेक्षक	1 प्रति लेन प्रति पारी	ऑटोमोबाइल की मरम्मत और रखरखाव का कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के साथ मोटर यांत्रिकी में आईटीआई।
6.	लेन ऑपरेटर	2 प्रति लेन प्रति पारी	ऑटोमोबाइल की मरम्मत और रखरखाव का कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ मोटर यांत्रिकी में आईटीआई।
7.	रखरखाव तकनीकी अधिकारी	1 प्रति लेन प्रति पारी	एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में आईटीआई या बिजली के रखरखाव में कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ आईटीआई

- (2) स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन समय-समय पर लागू भारत में सभी संगत श्रम नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 9. प्राधिकरण की वैधता और नवीकरण (1) एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र या उसके बाद के नवीकरण जारी होने की तिथि से पांच (5) वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा, जैसा भी मामला हो।
- (2) पंजीकरण प्रमाण-पत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा ।
- (3) पंजीकरण प्रमाण-पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में, पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक पंजीकरण प्राधिकारी को तथ्यों को सुचित करेगा जो पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान या नवीनीकृत करता है।
- (4) नियम 17 में निर्दिष्ट अनुसार, उचित शुल्क जमा करने के साथ, डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन एक प्रपत्र 61 में किया जाएगा।
- (5) पंजीकरण प्राधिकारी एक इप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से "इप्लिकेट" लिखा हो।
- (6) डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र को तुरंत पंजीकरण प्राधिकारी को सौंप दिया जाएगा यदि भविष्य की तारीख में मूल का पता लग जाता है ।
- 10. फिटनेस के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और परीक्षण प्रक्रिया- (1) इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छह महीने के भीतर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फिटनेस परीक्षण के लिए समय बुक किया जाएगा।
- (2) स्लॉट बुक करते समय निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना अपलोड की जाएगी
 - i. पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी)
 - ii. वैध बीमा प्रमाण-पत्र
 - iii. वैध परमिट (जैसा लागू हो)
 - iv. पंजीकृत मालिक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

(3) वाहन से संबंधित अन्य विवरण, जो केवल निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है, वाहन डेटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त किया जाएगा -

- i. चेसिस नंबर
- ii. ईंधन
- iii. वाहन वर्ग
- iv. वाहन श्रेणी
- v. मेक/मॉडल
- vi. सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू)
- vii. विनिर्माण का महीना और वर्ष
- viii. स्पीड गवर्नर सीरियल नंबर (जैसा लागू हो)
- (4) संदर्भ मानकों के साथ-साथ किए जाने वाले परीक्षणों की सूची अनुबंध XII के अनुसार होगी (समय-समय पर यथा अनुप्रयोज्य)।
- (5) डाटा जेनरेशन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज को इस तरीके से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:
 - ंडटाबेस को अन्य प्लेटफार्मों के साथ डेटा के आसान आदान-प्रदान और विश्लेषण को सक्षम करने के लिए एसक्यूएल डेटा प्रबंधन सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म में संग्रहीत किया जाता है।
 - ii. वाहन पर किए गए परीक्षणों के परिणामों के साथ, सभी स्वचालित और मैन्युअल डेटा स्वचालित परीक्षण स्टेशन में स्थापित केंद्रीय सर्वर को स्वत: ही प्रेषित किए जाएंगे ।
 - iii. किसी परीक्षण के पास-फेल मानदंड स्वचालित हैं और किसी के द्वारा परिवर्तन योग्य नहीं हैं।
 - iv. टेस्ट लेन में कोई भी स्क्रीन सफल या असफल होने के संदर्भ में कोई भी परीक्षण परिणाम प्रदर्शित नहीं करेगी। सभी परीक्षण के परिणाम कूटबद्ध परीक्षण डेटा के साथ परीक्षण लेन पर छिपे हुए रहेंगे। परीक्षण रिपोर्ट स्वचालित रूप से और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी परीक्षणों के पूरा होने के तुरंत बाद बनाई जाएगी।
 - v. आयोजित किए गए परीक्षणों और रिपोर्टों के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा और वाहन डेटाबेस पर अपलोड किया जाएगा।
 - vi. वाहन और उसके चेसिस और इंजन नंबर की तस्वीर जीपीएस सक्षम कैमरे द्वारा ली जाएगी और सुरक्षित रखी जाएगी एवं किए गए परीक्षणों के डेटा और रिपोर्ट के साथ वाहन डेटाबेस पर अपलोड की जाएगी।
- (6) इस प्रकार बनाई गई रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पंजीकृत मालिक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को भेजा जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - i. स्टेशन का नाम और पंजीकरण संख्या
 - ii. परीक्षण की तिथि और समय
 - iii. वाहन का विवरण पंजीकरण संख्या, प्रकार, मेक और मॉडल
 - iv. दृश्य परीक्षण के परिणाम
 - v. किए गए परीक्षणों के मापांक और अनुमेय मूल्य
 - vi. प्रत्येक उपकरण के संबंध में स्वचालित परीक्षण स्टेशन के उपकरण कैलिब्रेशन की अंतिम तिथि, जिस दिन परीक्षण आयोजित किए जाते हैं
- (7) परिणाम भी वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत किए जाएंगे।
- 11. पुन: परीक्षण प्रक्रिया (1) जो वाहन अपेक्षित परीक्षण में विफल रहता है जैसा कि अनुबंध XII में विनिर्दिष्ट है, की खराबी को उपयुक्त वर्कशाप से ठीक करवाने के पश्चात् (जैसा कि पिछले निरीक्षण में निर्दिष्ट किया गया था) पुन: परीक्षण के लिए आवेदन करने का एक अवसर दिया जाएगा, जैसा कि नियम 11 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट है।
- (2) वाहन के पंजीकृत मालिक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शुल्क जमा करने के बाद पुनः परीक्षण का विकल्प चुन सकते हैं, जैसा कि सीएमवीआर 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट है।
- (3) जो वाहन ऐसे पुन: परीक्षण में विफल रहता है, उसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ईएलवी) घोषित किया जाएगा ।

- (4) नियम 11 (3) में अन्य बातों के होते हुए, के एक और परीक्षण कराने के लिए अपीलीय प्राधिकारी डिक्री की स्थिति में वह परीक्षण किया जाएगा।
- 12 परीक्षण परिणामों के विरुद्ध अपील (1) कोई भी व्यक्ति जो परीक्षण परिणाम से असंतुष्ट है, ऐसे परिणाम की प्राप्ति की तारीख के दो दिनों के भीतर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट एक पोर्टल के माध्यम से, प्रपत्र-62 में अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।
- (2) ऐसी अपील, नियम 17 में यथा निर्दिष्ट शुल्क के साथ और परीक्षण परिणाम की प्रति के साथ की जाएगी।
- (3) अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अपील प्राप्त होने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर वाहन का आंशिक या पूर्ण पुन: निरीक्षण करने का आदेश दे सकता है।
- (4) इस तरह के पुन: निरीक्षण में पास होने वाले वाहनों के परिणामस्वरूप, अपीलीय प्राधिकारी ऐसे वाहन को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश देगा ।
- (5) अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- **13.** लेखापरीक्षा (1) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट ऐसे अंतरालों पर, स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के प्रदर्शन और कामकाज की समय-समय पर लेखापरीक्षा के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
- (2) पंजीकरण प्राधिकारी ऐसे लेखा परीक्षण के लिए श्रेयस्कर एजेंसियों राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) की नियुक्ति करेगा।
- (3) किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन का लेखा परीक्षण हर छह महीने में किया जाएगा। इस तरह के लेखा परीक्षण की लागत ऐसे स्टेशन के संचालक द्वारा वहन की जाएगी।
- (4) स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलु शामिल होंगे :
 - i. परीक्षण उपकरण की पूर्णता
 - ii. आवश्यक आवृत्ति पर उपकरण कैलिब्रेशन
 - iii. इन नियमों में निर्धारित निरीक्षण प्रक्रिया
 - iv. मशीनरी की कैलिब्रेशन प्रक्रिया
 - v. निर्धारित योग्यता के अनुसार जनशक्ति
 - vi. प्रत्येक लेन से कम से कम 3 वाहनों की नमुना जांच
 - vii. डेटा विश्वसनीयता
 - viii. स्टेशन में लगाए गए सभी सीसीटीवी की कार्यप्रणाली
- (5) असाधारण परिस्थितियों में, जो कि पर्याप्त रूप से दर्ज हैं, के तहत पंजीकृत प्राधिकरण, स्वचालित परीक्षण स्टेशनों का औचक निरीक्षण भी कर सकता है। इस तरह के लेखा परीक्षा की लागत ऐसे स्टेशन के संचालक द्वारा वहन की जाएगी।
- (6) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के अधिकारी कार्यालय समय के दौरान किसी भी समय निरीक्षण में सक्षम और सहयोग करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (7) लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जैसा कि प्रपत्र-63 में निर्दिष्ट है, फोटोग्राफिक सबूत के साथ, वाहन डेटाबेस पर अपलोड की जाएगी।
- (8) लेखा परीक्षा एजेंसी लेखापरीक्षा के दौरान किसी भी विसंगति को इंगित करने की स्थिति में, इसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तारीख से सात दिनों के भीतर ठीक कर लिया जाएगा। सुधार रिपोर्ट अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी। लेखा परीक्षा एजेंसी, अगर ऐसा चाहती है, तो सत्यापन और अनुमोदन के लिए फिर से लेखा परीक्षा कर सकती है।
- 14. पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित अथवा रद्द करने के लिए अथवा जमानत राशि को जब्त करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी की शक्ति (1) पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, यदि पंजीकरण प्राधिकारी संतुष्ट है कि वह:
 - i. नियम 5 से 8 में निर्धारित की गई आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है।
 - ii. फिटनेस के प्रमाण-पत्र देने या नवीनीकरण करने से पहले परीक्षण के सही मानकों का पालन करने में विफल रहा है, जैसा कि लेखा परीक्षा के समय देखा गया है, या वाहन के किसी यांत्रिक दोष के कारण स्वचालित परीक्षण स्टेशन के द्वारा मंजूर अथवा नवीनीकरण की गई प्रमाण-पत्र द्वारा कवर परिवहन वाहनों से दुर्घटनाओं की आवृत्ति।
 - iii. किसी भी दर्भावना में, शामिल हो सकता है तब पंजीकरण अधिकारी-
 - क) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित कर सकता है; और/या

- ख) पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सके; और/या
- ग) स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा प्रस्तुत प्रतिभृति राशि को जब्त करने के आदेश दे सकता है
- (2) जहां उप-नियम (1) के तहत प्रतिभूति राशि जब्त की जाती है, प्रमाण-पत्र धारक, जब्ती के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण प्राधिकारी को जब्त की जाने वाली आदेशित राशि को प्रेषित करेगा, ताकि प्रतिभूति राशि के संबंध में नियम 4 के उप-नियम (2) की आवश्यकता का अनुपालन किया जा सके।
- **15** अपील पंजीकरण प्राधिकारी के किसी आदेश से कोई भी व्यथित व्यक्ति, नियम 14 के उप-नियम (5) अथवा उप—िनयम (1) के अंतर्गत आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।
- **16.** अपील की प्रक्रिया (1) नियम 15 के तहत कोई अपील एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जो पंजीकरण प्राधिकरण के आदेश पर आपत्तियों के आधार को निर्धारित करेगी।
- (2) अपील को नियम 17 में निर्दिष्ट अपेक्षित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) अपील प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद और इस तरह की जाँच के बाद कि यह आवश्यक हो सकता है, इस तरह की अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें ।

17. शुल्क - इस अध्याय के प्रावधानों के तहत जो शुल्क लिया जाएगा, वह नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट किया जाएगा:

क्र. सं.	उद्देश्य	राशि	परिशिष्ट XV में नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या नवीनीकरण	पचास हजार रुपए	4 (2) (ए)	56
2.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन के पंजीकरण प्रमाण- पत्र के लिए प्रतिभूति राशि	पांच लाख रुपये	4 (2) (बी)	56
3.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना	पच्चीस हजार रुपए	9 (4)	56
4.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परीक्षण परिणाम के विरुद्ध अपील	दो हजार रुपये	12 (2)	
5.	परिशिष्ट XV के नियम 16 के तहत अपील	तीन हजार रुपये	16	

5. उक्त नियमों में अनुबंध XI के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्-

अनुबंध- XII एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर परीक्षण किया जाना है

(1) स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान और नवीनीकरण नीचे दिए गए तालिका में निर्दिष्ट निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करने के बाद ही एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर किया जाएगा:

[तालिका]

क्र. स.	मद	पास-फेल मानदंड	फिटमैन की जाँच करें	दृश्यता/कार्यात्मक परीक्षण	अधिक विवरण के लिए संदर्भ नियम/मानक विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(1)	हेडलैम्प डीपड बीम	हाँ	नहीं	कार्यात्मक	एआईएस-128
(2)	हैडलैंप्स असेंबली	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा.नियम 105 और एआईएस -008 या एआईएस - 008 (संशो.1)और एआईएस -009 या एआईएस -009 (संशो.1)

(3)	टॉप लाईट	नहीं	हाँ	दृश्यता	सीएमवी नियम 107, 108 और एआईएस: 008 या एआईएस - 008 (संशो1)
(4)	स्टॉप लाईट्स	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम 102 और एआईएस-008 या एआईएस-008 (संशो1)और एआईएस-009 या एआईएस-009 (संशो1)
(5)	पार्किंग लाईट	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम: 109 और एआईएस-008 या एआईएस-008 (संशो1)और एआईएस-009 या एआईएस-009 (संशो1)
(6)	कोहरा लैंप (यदि लगाया गया है)	नहीं	हाँ	दृश्यता	एआईएस-008 या एआईएस-008 (संशो1)
(7)	एम्बुलेंस में चेतावनी के लिए लाईट	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम: 108 और एआईएस-125 (भाग 1)
(8)	नंबर प्लेट लाइट	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम: 108 और एआईएस-008 या एआईएस-008 (संशो1)और एआईएस-009 या एआईएस-009 (संशो1)
(9)	एंड-आउटलाइन	नहीं	हाँ	दृश्यता	एआईएस-008
	मार्कर लैंप				या एआईएस-008 (संशो1)
(10)	दिशा सूचक	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम: 102 और एआईएस: 008 या एआईएस-008 (संशो1)और एआईएस-009 या एआईएस-009 (संशो1)
(11)	खतरा चेतावनी संकेत लाइट	नहीं	हाँ	दृश्यता	एआईएस: 008 या एआईएस-008 (संशो1)और एआईएस-009 (संशो1)
(12)	सप्रेसर कप/उच्च टेंशन केबल	नहीं	हाँ	दृश्यता	-
(13)	विंडस्क्रीन वाइपर ब्लेड	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम: 101, एआईएस- 045, आईएस: 15804 और आईएस: 15802
(14)	विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम	नहीं	हाँ	कार्यात्मक	के.मो.वा. नियम: 101, एआईएस- 045, आईएस: 15804 और आईएस: 15802
(15)	फास्टैग	हाँ	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम 138ए
(16)	व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटी) डिवाईस	हाँ	हाँ	दृश्यता	एआईएस-140
(17)	उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी)	हाँ	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम 50 और एआईएस- 159

(18)	सुरक्षा बेल्ट (सीटबेल्ट)	हाँ	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम 125 (1-A) और एआईएस-015 या आयएस 15140: 2003
(19)	बैटरी	हाँ	हाँ	दृश्यता	आयएस-14257: 2019
(20)	साइलन्सर	नहीं	हाँ	दृश्यता	सीएमवी नियम 120 और आईएस 10399: 1998
(21)	निकास गैस उत्सर्जन (पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहन के लिए लागू)	हाँ	नहीं	कार्यात्मक	के.मो.वा. नियम 115 (2) (आय)
(22)	रेट्रो रिफ्लैक्टर	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम: 104,
	और रिफ्लेक्टिव टेप			-	एआईएस-090 और एआईएस- 037, एआईएस-057 और एआईएस- 057 (संशो1)
(23)	एन2, एन3, टी3 और टी4 के लिए रियर अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस (आरयूपीडी)	नहीं	हाँ	दृश्यता	सीएमवी नियम 124 (1 ए) और आईएस -14812-2005
(24)	एन2, एन3, टी3 और टी-4 के लिए लैटरल अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस (-एलयूपीडी)	नहीं	हाँ	दृश्यता	सीएमवी नियम 124 (1 ए) और आईएस -14682-2004
(25)	स्पीडोमीटर	हाँ	हाँ	दृश्यता	नियम117 और आयएस- 11827-2008 के अनुसार
(26)	स्पीड गर्वनर	हाँ	हाँ	दृश्यता और कार्यात्मक	के.मो.वा. नियम: 118 और एआईएस-018
(27)	डैशबोर्ड उपकरण	नहीं	हाँ	दृश्यता	एआईएस-071 (भाग 1)
(28)	हॉर्न	नहीं	हाँ	दृश्यता और कार्यात्मक	आईएस -1884, सीएमवी नियम: 119 और आयएस -15796 है
(29)	स्मोक डेंसिटी (डीजल वाहन के लिए फ्री एक्सेलेरेशन टेस्ट लागू)	हाँ	नहीं	कार्यात्मक	के.मो.वा. नियम 115 (2) (ii)
(30)	स्टीयरिंग गियर	हाँ	हाँ	कार्यात्मक	नियम 98 के अनुसार
(31)	ब्रेकिंग प्रणाली	हाँ	हाँ	दृश्यता और कार्यात्मक	एआईएस-128
(32)	साइड स्लिप टेस्ट (यह परीक्षण 3-पहिया वाहन के सिवाय सभी श्रेणियों के वाहनों पर लागू होता है)	नहीं	नहीं	कार्यात्मक	

(33)	दिव्यांग यात्रियों के लिए और ज्यादा चलने फिरने में अक्षम यात्रियों के लिए प्राइऑरिटी सीटें,	नहीं	हाँ	दृश्यता	उप-नियम (1) और (7)
	बैसाखी/कैन/वॉकर, हैंड रेल/स्टैन्चियन नियंत्रक				नियम 125सी, एआईएस-052 (संशो 1) और एआईएस-153
(34)	विकलांगों यात्रियों और ज्यादा चलने फिरने में अक्षम यात्रियों के लिए व्हील चेयर प्रवेश/आवास/ताला लगाने की व्यवस्था करना।	नहीं	हाँ	दृश्यता	नियम 125C, एआईएस-052 संशो 1) और एआईएस-153 के उप-नियम (1) और (7)
(35)	स्प्रे सप्रेशन उपकरण	नहीं	हाँ	दृश्यता	एआईएस-013 (संशो. 1)
(36)	पीछे देखने के लिए दर्पण	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम 125 (2) और एआईएस-002 (भाग -1) और (भाग -2) (संशो 1), एआईएस- 002 है
(37)	सुरक्षा ग्लास (विंडस्क्रीन)	नहीं	हाँ	दृश्यता	 क) के.मा.वा. नियम 100 और आईएस: 2553 (भाग 2) ख) 1 अप्रैल, 2021 से पंजीकृत वाहनों के लिए बीआईएस लाइसेंस का अंकन ।
(38)	सस्पेंशन टेस्ट	नहीं	नहीं	कार्यात्मक	-
	(3-पहिया वाहनों को छोड़कर 3.5 टन तक के जीवीडब्लयू वाले के वाहनों के लिए लागू				
(39)	संयुक्त प्ले टेस्ट	नहीं	हाँ	दृश्यता और कार्यात्मक	-
(40)	टायर	नहीं	हाँ	दृश्यता	के.मो.वा. नियम 94 और 95
(41)	बिजली के झटके से संरक्षण (केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए) अगर सिस्टम वोल्टेज> 60 वी डीसी या 30 वी एसी है	हाँ	नहीं	दृश्यता और कार्यात्मक	एआईएस-038(संशो1)
(42)	इन्सुलेशन प्रतिरोध माप परीक्षण (केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए) यदि सिस्टम वोल्टेज> 60 वी डीसी या 30 वी एसी है।	हाँ	नहीं	कार्यात्मक	एआईएस-038 (संशो1)
(43)	डैश बोर्ड पर चार्ज स्तर(एसओसी)का संकेतक एआईएस-038 (संशो1)	नहीं	हाँ	दृश्यता	एआईएस-038 (संशो1)

- (2) वाहन को परीक्षण लेन में ले जाने से पहले आंतरिक और बाहरी वाहन निरीक्षण किया जाना।
- (3) स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर परीक्षण लेन 3 स्टेशनों में अलग किया जाएगा जिसमें प्रत्येक स्टेशन पर निम्नलिखित परीक्षण किये जायेंगे:

स्टेशन -1	स्टेशन -2	स्टेशन -3
 ऑपरेटर का आरएफआयडी प्रमाणीकरण उत्सर्जन परीक्षण हॉर्न टेस्ट आवाज निकास परीक्षण स्पीडोमीटर टेस्ट स्पीड गवर्नर टेस्ट 	 ऑपरेटर का आरएफआयडी प्रमाणीकरण साइड स्लिप टेस्ट फ्रंट और रियर सस्पेंशन टेस्ट सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक टेस्ट 	 ऑपरेटर का आरएफआयडी प्रमाणीकरण एक्सल प्ले डिटेक्टर का उपयोग करते हुए बॉडी विजुअल का निरीक्षण स्टीयरिंग ऐंगल परीक्षण हेड लाइट टेस्ट

- (4) सभी स्टेशनों में आरएफआईडी को पढ़ने की क्षमता आवश्यक रूप से होनी चाहिए, स्मार्टकार्ड या किसी समतुल्य उपकरण और परीक्षण कम से कम मानवीय हस्तक्षेप से संचालित किए जाएंगे ।
- (5) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन में किए गए सभी दृश्यता पड़तालों का मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके फोटो खींचे जाएंगे और उसी का रिकॉर्ड ऑडिट के उद्देश्य से संग्रहीत किया जाएगा ।

अनुलग्नक XIII

स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए उपकरण विनिर्देश

- (1) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण एसओ-3467 (ई), दिनांक 16 जुलाई 2018 और एसओ 3881 (ई), 6 अगस्त, 2018 के अनुसार एक्सल लोड को मापने में सक्षम होना चाहिए।
- (2) उपकरण को फिटनेस अभियान के तहत सभी श्रेणियों के वाहन का परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए।
- (3) उपकरण का सॉफ्टवेयर आवश्यक होने पर निरीक्षण प्रणाली के संशोधन की अनुमति देगा।
- (4) सभी उपकरण निम्नलिखित पर्यावरणीय परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम होने चाहिए:
 - i तापमान रेंज 0° सें. से 55° से.
 - ii आर्द्रता 95% तक
 - iii धूल: विशिष्ट भारतीय परीक्षण शर्त
- (5) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर उपयोग किया गया उपकरण निम्नलिखित विनिर्देशों का पालन करेगा जैसा कि नीचे की सारणी में दिया गया है:

क्र.सं.	उपकरण	तकनीकी विनिर्देशन			
		हल्के वाणिज्यिक वाहन	मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन		
1.	रोलर ब्रेक टेस्टर	(क) अधिकतम औसत दर्जे का लोड कम से कम 6 के.एन है	(क) अधिकतम औसत दर्जे का लोड कम से कम 40 के एन है		
		(ख) बाएं और दाएं ब्रेकिंग दक्षता में अंतर	(ख) बाएं और दाएं ब्रेकिंग दक्षता में अंतर		
		(ग) ब्रेक लोड रिजॉल्यूशन<= 100 टन	(ग) ब्रेक लॉड रिजॉल्यूशन ≤ 100 टन		
		(घ) मैट्रिक्स के अनुसार उपयुक्त रोलर व्यास, लंबाई और विभाजन इस अनुलग्नक के खंड (7) में दिया गया है	(घ) मैट्रिक्स के अनुसार उपयुक्त रोलर व्यास, लंबाई और विभाजन इस अनुलग्नक के खंड (7) में दिया गया है		

		(ड.) वाहन के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान (च) अनुमानित परीक्षण गति: 5 किमी/ घंटा ± 1 किमी/घंटा (छ) रोलर सतह (i) न्यूनतम घर्षण गुणांक 0.6 (सहायक दस्तावेज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है) (ii) सर्विस लाईफ: न्यूनतम 25000 घंटे	(इ.) वाहन के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान (च) अनुमानित परीक्षण गति: 2.5 किमी/ घंटा (छ) रोलर सतह (जा) न्यूनतम घर्षण गुणांक 0.6 (सहायक दस्तावेज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है) (i) सर्विस लाईफ: न्यूनतम 25000 घंटे
		टिप्पणी:- 3 व्हीलर्स के परीक्षण के लिए, एलसीवी लेन में सामने वाले पहीये के लिए एक अतिरिक्त रोलर उपलब्ध करवाया गया है। इसे इस तरह रखा जाना चाहिए कि सामने वाले पहियों का परीक्षण ठीक से किया जा सके।	
2.	एक्सल भार माप	(क) प्रत्येक एक्सल वजन के माप के लिए वजन पैमाने की आवश्यकता होतीहै। वाहन के एक्सल भार, टेयर भार/कर्ब भार को एक साथ जोड़कर सिस्टम को यह निर्धारित करना चाहिए। (ख) मापने की सीमा: 0 – 3000 किलोग्राम (ग) रिजॉल्यूशन: 5 किलोग्राम (घ) सटीकता ± 1%	(क) प्रत्येक एक्सल वजन के माप के लिए वजन पैमाने की आवश्यकता होतीहै। वाहन के एक्सल भार, टेयर भार/कर्ब भार को एक साथ जोड़कर सिस्टम को यह निर्धारित करना चाहिए। (ख) मापने की सीमा: 7000 किलोग्राम – 18000 किलोग्राम (ग) रिजॉल्यूशन: 5 किलोग्राम (घ) सटीकता ± 1%
3.	सस्पेंशन टेस्टर	(क) एक्साइटेशन का आयाम 6.5 मि. मी. +/-5 मि. मी.	(क) एक्साइटेशन का आयाम 6.5 मि. मी. +/-5 मि. मी.
4.	साइड स्लिप टेस्टर	(क) ट्रेक प्लेट की लंबाई, वजन और ऊंचाई का उपयुक्त आयाम (ख) मापने की सीमा: ± 20 मी/किमी (ग) मापने का रिजॉल्यूशन: 1 मी/किमी (घ) सटीकता ± 1.0 मी/किमी	(क) ट्रेक प्लेट की लंबाई, वजन और ऊंचाई का उपयुक्त आयाम (ख) मापने की सीमा: ± 20 मी/किमी (ग) मापने का रिजॉल्यूशन: 1 मी/किमी (घ) सटीकता ± 1.0 मी/किमी
5.	ज्वाइंट प्ले टेस्टर	(क) कम से कम 10 के.एन प्रति प्लेट अधिकतम बल (ख) प्रत्येक तरफ अधिकतम गति :100 मि. मी. (हाइड्रोलिक)	(क) कम से कम 40 के एन प्रति प्लेट अधिकतम बल (ख) प्रत्येक तरफ अधिकतम गति :100 मि. मी. (हाइड्रोलिक)
6	स्वचालित स्टीयरिंग गियर प्ले डिटेक्टर	क) ±30 डिग्री तक के कोणीय आंदोलन तक की माप में सक्षम ख) स्टीयरिंग गति के विरुद्ध पहिया चालन को मापने के लिए रिकॉर्डिंग तंत्र	क) ± 30 डिग्री तक के कोणीय आंदोलन तक की माप में सक्षम ख) स्टीयरिंग गति के विरुद्ध पहिया चालन को मापने के लिए रिकॉर्डिंग तंत्र
7	स्वचालित हेड लाइट परीक्षक	क) लाइट इंटेंसिटी रेंज माप (न्यूनतम): 0- 100,000 सीडी	क) लाइट इंटेंसिटी रेंज माप (न्यूनतम): 0- 100,000 सीडी

		ख) रोशनी तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स	ख) रोशनी तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स
		ग) उनके केंद्र जमीन के स्तर से ऊपर 500 मिमी से 1200 मिमी के साथ हेडलाइट टैस्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता होनी चाहिए और उनके साथ हेडलैम्प को मापने में सक्षम होना चाहिए ।	 ग) उनके केंद्र जमीन के स्तर से ऊपर 500 मिमी से 1200 मिमी के साथ हेडलाइट टैस्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता होनी चाहिए और उनके साथ हेडलैम्प को मापने में सक्षम होना चाहिए ।
		घ) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज माप सीमा: ±50 सेमी/10 मीटर (±) 5%)।	घ) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज माप सीमा: ±50 सेमी/10 मीटर (±) 5%)।
		ङ) तीव्रता अधिकतम विचलन: ± 5% प्रसार ।	ङ) तीव्रता अधिकतम विचलन: ± 5% प्रसार ।
		च) हेडलैंप टैस्टर को एक पूरी तरह से स्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना है।	च) हेडलैंप टैस्टर को एक पूरी तरह से स्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना है।
8	ओपेसीमीटर	क) क) उपकरणों को संबंधित टीएपी/एआईएस मानकों का पालन करना है और सीएमवीआर 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट एजेंसियां परीक्षण द्वारा अनुमोदित किया जाना है।	क) उपकरणों को संबंधित टीएपी/एआईएस मानकों का पालन करना है और सीएमवीआर 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट एजेंसियां परीक्षण द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
9	निकास गैस विश्लेषक	क) उपकरण को सीएमवीआर/टीएपी 115/116 या एआईएस 137 के अनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस उत्सर्जन को मापना चाहिए	क) उपकरण को सीएमवीआर/टीएपी 115/116 या एआईएस 137 के अनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस उत्सर्जन को मापना चाहिए
		ख) सीएमवीआर 1989 के नियम 115 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा	ख) सीएमवीआर 1989 के नियम 115 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा
		ग) मीजरिंग रिज़ॉल्यूशन को निम्नलिखित के रुप में होना है :	ग) मीजरिंग रिज़ॉल्यूशन को निम्नलिखित के रुप में होना है :
		i. सीओ: 0.01%	घ) सीओ: 0.01%
		ii. सीओ2: 0.1%	ङ) सीओ2: 0.1%
		iii. एचसी: 1पीपीएम	च) एचसी: 1पीपीएम
		iv. ओ2: मापित मानों के लिए 0.02% <= 4% मान और मापित मानों के लिए 0.1% > = 4%	छ) ओ2: मापित मानों के लिए 0.02% <= 4% मान और मापित मानों के लिए 0.1% > = 4%
		v. एनओएक्स : 1पीपीएम	ज) एनओएक्स : 1पीपीएम
		vi. लैम्ब्डा: 0.001	झ) लैम्ब्डा: 0.001
		vii. आरपीएम काउंटर: 10आरपीएम	ट) आरपीएम काउंटर: 10आरपीएम
		d) (घ) आरपीएम काउंटर में अनुमत अधिकतम विचलन ±20 आरपीएम या रीडिंग का 2% होगा, जो भी अधिक हो।	d) (घ) आरपीएम काउंटर में अनुमत अधिकतम विचलन ±20 आरपीएम या रीडिंग का 2% होगा, जो भी अधिक हो।
		नोट : - (i) निकास गैस के उपयुक्त विश्लेषण के लिए प्रोब को टेल पाईप पर यांत्रिक रूप से लगाया जाना है।	<u>नोट</u> : - (i) निकास गैस के उपयुक्त विश्लेषण के लिए प्रोब को टेल पाईप पर यांत्रिक रूप से लगाया जाना है।
		(ii) निकास गैस उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शेड से निकास गैस निकालने के लिए उपयुक्त तंत्र को शामिल किया जाना है।	(ii) निकास गैस उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शेड से निकास गैस निकालने के लिए उपयुक्त तंत्र को शामिल किया जाना है।
10	स्पीडोमीटर टेस्टर/स्पीड गवर्नर टेस्टर	क) इस अनुलग्नक के खंड (7) में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार ट्रैक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का उपयुक्त आयाम	क) इस अनुलग्नक के खंड (7) में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार ट्रैक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का उपयुक्त आयाम

		ख) वाहन के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान	ख) वाहन के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान
		ग) मापने की सीमा: 20-160 किमी/घंटा	ग) मापने की सीमा: 20-160 किमी/घंटा
		घ) रिजोल्यूशन: 1 किमी/घंटा	घ) रिजोल्यूशन: 1 किमी/घंटा
		ङ) इंडीकेटिड रीडिंग की सटीकता ± 1%	ङ) इंडीकेटिड रीडिंग की सटीकता ±
11	ध्वनि स्तर मीटर	क) आईईसी 60601/आईईसी 61672-1 के अनुसार अनुशंसित	क) आईईसी 60601/आईईसी 61672-1 के अनुसार अनुशंसित
		ख) मापने का स्तर: ≥30 डीबी से	ख) मापने का स्तर: ≥30 डीबी से
		≤120 डीबी	≤120 डीबी
		ग) फ्रीक्वेंसी क और ग	ग) फ्रीक्वेंसी क और ग
		घ) सटीकता - ±1.5डीबी	घ) सटीकता - ±1.5डीबी
		ङ) ट्राइपोड स्टैंड लगाया गया	ङ) ट्राइपोड स्टैंड लगाया गया
		च) 220वी एसी और यूएसबी के आउटलेट से चार्ज करने के पॉवर स्रोत के लिए बैटरी का निर्माण करना	च) 220वी एसी और यूएसबी के आउटलेट से चार्ज करने के पॉवर स्रोत के लिए बैटरी का निर्माण करना
		<u>नोट</u> : - परीक्षण स्टेशन पर स्पष्ट रूप से ध्वनि स्तर मीटर के स्थान को चिह्नित किया जाना है।	<u>नोट</u> : - परीक्षण स्टेशन पर स्पष्ट रूप से ध्वनि स्तर मीटर के स्थान को चिह्नित किया जाना है।

(6) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए न्यूनतम आईटी हार्डवेयर की आवश्यकता तालिका में दी गई है :

क्र. सं.	उपकरण	विनिर्देश
1	सर्वर विनिर्देशनों	क) प्रोसेसर का प्रकार: 2xइंटेल सीनोन प्रोसेसर ई5-2670 (2.60 गीगा हर्टज/16- कोर/20एमबी/8जीटी-क्यूपीआई/130डब्ल्यू) या बेहतर
		ख) प्रोसेसर: बेहतर के लिए 16 कोर/प्रोसेसर
		ग) मेमोरी: 64 जीबी डीडीआर 3 ईसीसी 1333 मेगाहर्ट्ज या ज्यादा
		घ) बिजली की आपूर्ति: 650डब्ल्यू अतिरिक्त पॉवर आपूर्ति
		ई) इंटरनल स्टोरेज: 7x900 जीबी एसएएस डिस्क 10 के आरपीएम- हॉट स्वैप या बेहतर
		ङ) वारंटी: 5 साल ऑनसाइट व्यापक वारंटी
2	डेस्कटॉप विनिर्देशनों	a) इंटेल® 10 वीं पीढ़ी का कोर™ आई7 प्रोसेसर या बेहतर
		बी) 3.0 गीगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी, या बेहतर
		ग) 1 टीबी 7200 आरपीएम 3.5 एचडीडी या बेहतर
		d) 8 जीबी 1333 मेगाहर्टज डीडीआर3 एसडीरैम या बेहतर
		ई) 5 साल की व्यापक ऑनसाइट वारंटी

3	प्रिंटर विनिर्देशनों	क) लेजर और डुप्लेक्स प्रिंटर (काला और रंगीन)
		बी) पीपीएम- 30 या बेहतर
		ग) समर्थित पृष्ठ का आकार - ए4, बी5, ए5, लीगल, पत्र, विवरण, कार्यकारी, सरकारी
		पत्र, सरकारी लीगल, फुलस्कैप, भारतीय लीगल कस्टम (न्यूनतम 76.2 x 210 मिमी से
		अधिकतम 216 x 356 मिमी)
		घ) प्रिंट रिज़ॉल्यूशन - 600 x 600 डीपीआई या बेहतर
4	नंबर प्लेट रीडर कैमरा	क) फ्रेम प्रति सेकंड: 50 मेगापिक्सेल: 2.0 या
		ख) उच्चतर वीआईएफ प्रोटोकॉल पर
		ग) आईपी67
		ঘ)
5	गति डोम कैमरा	क) इमेज सेंसर 1/3 " प्रगतिशील स्कैन सीएमओएस
		ख) 20X ऑप्टिकल या बेहतर; / डिजिटल ज़ूम कैमरा
		ग) 30x मोटर चालित ज़ूम लेंस और ऑटो फोकस
		घ) मेगापिक्सेल: 2.0 या उच्चतर
		ङ) आईपी67
		च) आईके10
6	नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर	क) मल्टीप्लेक्स रिकॉर्डिंग शेड्यूल विकल्प: मैनुअल, अलार्म, मोशन डिटेक्शन, टाइमिंग
		छ) मल्टीप्लेक्स ऑपरेशन: लाइव व्यू, रिकॉर्ड, प्ले बैक, बैकअप और साथ-साथ में सिस्टम को दूर से नियंत्रित करते हैं
		ज) 1080पी रिज़ॉल्यूशन तक एचडीएमआई और वीजीए आउटपुट एक साथ
		झ)एच.265 हाई प्रोफाइल डिकोडिंग
		ट) 2 एसएटीए एचडीडी इंटरफ़ेस: अधिकतम 8 टीबी भंडारण क्षमता या अधिक
7	अन्य उपकरणों की आवश्यकता	क) सीसीटीवी कैमरा के साथ स्मार्ट टीवी
		ख) परीक्षण करने लिए एलसीडी / एलईडी

7) परीक्षण किए जाने वाले वाहन के लक्षण नीचे मैट्रिक्स में दिए गए हैं:

	3डब्ल्यू		चारपहिर	या	4डब्ल्यू (एम	ा1, एन1)	4डब्ल्यू	एलसीवी	एचसीवी (एम3, एन3))	
ब्यौरा							(एम2, ए	र्न 2)	ट्रक ((एन 3)	बस (एम 3)
	न्यून	अधिक	न्यून	अधिक	न्यून	अधिक	न्यून	अधिक	न्यून	अधिक	न्यून	अधिक
फ्रंट एक्सल भार (किलोग्राम)	90	260	215	215	420	1285	1045	4150	1235	8951	360	6160
रियर एक्सल भार किलोग्राम	205	780	308	308	315	1395	810	7840	810	10224	1360	8900
कर्ब भार किलोग्राम	203	800	474	474	730	2625	1210	5440	2045	19175	2660	15000
जीवीडब्ल्यू किलोग्राम	610	2150	823	823	935	3490	1960	11990	12990	47500	5000	22000
व्हीलबेस मिमी	1590	3070	1925	1925	2050	3264	2100	4500	2500	6750	2654	8350
व्हील ट्रैक मिमी फ्रंट	-	-	1143	1143	1300	1690	1310	2022	1410	2124	1630	2054
व्हील ट्रैक मिमी रियर	1150	1540	1143	1143	1315	1705	1343	1814	1406	1926	1486	1880
लंबाई मिमी	2080	2510	2752	2752	1402	5226	3790	7965	4634	11994	5125	15000
चौड़ाई मिमी	1100	1520	1312	1312	1495	2173	1500	2470	1870	2590	1910	2600
ऊंचाई मिमी	1635	2070	1652	1652	1297	2750	1890	3410	2530	3940	2200	3730
ओवरहैंग फ्रंट मिमी	-	-	387	387	464	1297	760	2280	1050	1695	1000	2500
ओवरहैंग रियर मिमी	443	790	440	440	405	1375	710	2385	805	3484	1250	3560
ग्राउंड क्लीयरेंस मिमी	150	255	158	158	89	220	150	375	176	300	150	259
टीसीडी एम	-	-	6.96	6.96	8.33	12.6	8.5	19.7	12.3	23.99	11.17	23.4
टीसीसीडी एम	-	-	7.32	7.32	7.95	13.5	9.8	21.2	14	25.5	12.84	27.2

6. उक्त नियमों में, प्ररूप 58 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप **5**9

[परिशिष्ट XV नियम 4(1) देखें]

एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्ररूप

पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं
दिनांक
एतदद्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अधीन, परिवहन / गैर-परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीकरण और जारी करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के तहत एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए
 (परिसर का पूरा पता)
परिसर में
के लिए स्वीकृत किया गया है।
(नाम और पूरा पता)
यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र सेसे तक वैध / नवीकृत है
दिनांक

पंजीकरण प्राधिकरण पंजीकरण प्राधिकरण की मुहर

प्ररूप 60

[परिशिष्ट XV नियम 4(2) देखें]

	स्वचा	लित परीक्षण स्टे	शन के लि	- ए पंजीकरण प्रग	माण-पत्र के अ	⁄ - नुदान अथ	वा नवीक	रण हेतु आ	वेदन प्ररूप	
के लिए आवेदन							कृपया सही का निशान लगाए			लगाएं
नय	 ा पंजीकरण प्रमाण	-पत्र जारी करन	Т							
पंर्ज	ोकरण प्रमाण-पत्र	का नवीकरण								
द्विष्	ातिक पंजीकरण प्र	माण-पत्र का अन्	 गुरोध							
1.	कार्यालय के प्रय	ोग के लिए								
आव	ोदन सं.									
आवे	वेदन का दिनांक									
दिन	ांक									
शुल	क									
सुर	क्षा जमा राशि									
	सामान्य सूचना	T								
1										
	पता									
	दूरभाष									
5	ईमेल आईडी सीआईएन									
	पैन -									
7										
8	स्थिति	कंपनी	फर्म	ट्रस्ट	सोसायटी	स्वामी	Į.	 रकारी	सं.उ.	पीपीपी
	ास्थात (कृपया	7/1/11	1/4	X, C	सासायदा	रवाना			1.5.	111111
	सही का निशान									
	लगाएं)									
		I.				I				
3.	3. लेनों की संख्या		हलके	मोटर वाहन			मध्यम ३	और भारी	मोटर वाहन	
4.	अवस्थान									

5. कर्मचारियों की संख्या	
6. वाहन डाटाबेस के लिए आवेदन सं.	

7. <u>उपक्रम</u>

आवेद	भावेदक निम्नलिखित के लिए वचन देता है:				
क	केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार दृश्य और स्वचालित परीक्षण के लिए नियत प्रक्रिया का पालन किया जाता है				
ख	किसी भी मौद्रिक लाभ के लिए वाहन निरीक्षण और प्रमाणन से उत्पन्न डाटा का उपयोग नहीं करना				
ग	वाहन मेक और प्रकार से संबंधित परीक्षा परिणामों के बारे में जानकारी की सख्त गोपनीयता बनाए रखें				
घ	वाहनों की मरम्मत या विनिर्माण / पुर्जों की बिक्री की सेवाओं में शामिल नहीं होना				

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	
- '	
•	
दिनांक	

प्ररूप 61

स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए द्विप्रतिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्ररूप [परिशिष्ट XV नियम 9 देखें]

सेवा में	
पंजीकरण प्राधिकारी	
मेरे / हमारे स्वचालित परीक्षण स्टेशन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गया / नष्ट / पूरी तरह से बंद / गंदा / फट / कट-फट गया है:	
* मैं / हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि मेरे / हमारी जानकारी में अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के प्रमाण-पत्र निलंबित या रद्द नहीं किया गया है और ऊपर वर्णित परिस्थितियां सत्य हैं।	तहत पंजीकरण
मैं / हम एतदद्वारा द्विप्रतिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैं।	
मैं / हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि मैं / हम(दिनांक) को पंजीकरण प्रमाण-पत्र के खो आने के तुरंत बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कर दिया है।	जाने के ध्यान में
	नाम
	दिनांक:
	हस्ताक्षर

प्ररूप 62

परीक्षण परिणाम के आधार पर अपील के लिए आवेदन प्ररूप

[परिशिष्ट XV नियम 12(1) देखें]

1. व्यक्तिगत विवरण						
नाम						
पता						
संपर्क नंबर						
ईमेल आईडी						
क्या आप वाहन के पंजीकृत स्वामी है	ं? (हां/ नहीं)					
2. वाहन का विवरण						
पंजीकरण संख्या						
चेसिस नंबर						
मेक						
मॉडल						
3. परीक्षण स्टेशन का विवरण						
स्टेशन का नाम						
स्टेशन का पता						
परीक्षण की तारीख						
	का परीक्षण किया गया था? (हां/ नहीं) –					
यदि हाँ, तो विवरण दें:						
4. शिकायत						
शिकायत का विवरण:						
क्या उसके बाद से वाहन की मरम्मत	, उसमें परिवर्तन या समायोजन किया गया है ? (हां/ नहीं) –					
यदि हाँ, तो विवरण दें :						

(कृपया परीक्षण परिणाम की प्रति संलग्न करें)

प्ररूप 63

स्वचालित परीक्षण स्टेशन की लेखापरीक्षा के लिए प्ररूप

[परिशिष्ट XV नियम 13(7) देखें]

लेखापरीक्षा संख्या	लेखापरीक्षा की तारीख
लेखापरीक्षा एजेंसी और लेखापरीक्षक का नाम	लेखापरीक्षक का हस्ताक्षर
स्टेशन का नाम	स्टेशन संख्या
	·
पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं.	प्रचालन घंटे
पता	संपर्क संख्या

	l. क्या पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध है ?	हां		नहीं	
--	--	-----	--	------	--

2. परीक्षण उपस्कर पूर्णता और अंशांकन

क्र. सं.	उपस्कर	उपलब्ध (हां/नहीं)	अंशाकन बारंबारता	पिछले अंशांकन की तारीख
1	रोलर ब्रेक परीक्षक			
2	धुरी भार मापन			
3	सस्पेंशन परीक्षक			
4	साइड स्लिप परीक्षक			
5	ज्वाइंट प्ले परीक्षक			
6	स्वचालित स्टीयरिंग गियर प्ले संसूचक			
7	स्वचालित हेड गियर परीक्षक			
8	ओपैसीमीटर			
9	निकास गैस विश्लेषक			
10	स्पीडोमीटर परीक्षक / गति			
11	साउंड लेवल मीटर			

	$\overline{}$	•
टप्प	णिय	Π:

3	उपयक्त	जनशक्ति	की	उपलब्धता
J.	उभभूता	भगरा। (१)	711	उपलब्दा

क्र. सं.	पदनाम	स्टाफ की संख्या	9	टिप्पणियां
			(हां/ नहीं)	
1	केंद्र प्रमुख / प्रबंधक			
2	आईटी प्रभारी / प्रणाली विश्लेषक			
3	डाटा एंट्री आपरेटर			
4	चालक			
	(एलएमवी/ एचएमवी)			
5	लेन प्रभारी / पर्यवेक्षक			
6	लेन आपरेटर			
7	अनुरक्षण टेक्नीशियन			

टिप्पणियां:

4. परीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों का नमूना जाँच

लेन	लेन का प्रकार	अनुपालन (हां/ नहीं)			नोट
	(एचसीवी / एलसीवी)	वाहन-1	वाहन -2	वाहन -3	
लेन-1					
लेन-2					
लेन-3					
लेन-4					

टिप्पणिय 5. अतिरिक्त			
क्र. सं.	जांच	हां	नहीं
क.	निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आईटी प्रणाली		
ख.	अप्रत्यक्ष और कूटबद्ध परीक्षा परिणाम डाटा		
ग.	स्थापित और कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरे		
ਬ.	परीक्षण डाटा को सुरक्षित सुविधा में रखा गया और उसे वाहन (VAHAN) पर अपलोड किया गया		
ड	लेन स्क्रीन कोई भी परीक्षा परिणाम प्रदर्शित नहीं करते हैं		
च.	कई पारियों में काम करने वाले कर्मचारी		
छ.	दिशा-निर्देशों के अनुसार अवसंरचना सुविधाएँ		
छ.	केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समय लेना		
	त्रन का अवलोकन किया: बाली सुधारात्मक कार्रवाई:		
	[फा. सं		/05/2021 - आरएस दान, संयुक्त सचि

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि......(अ), दिनांक के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2021

G.S.R. 278(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 56 (2) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

- **1. Short Title and commencement**. -(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force with effect from 1.10.2021
- 2 In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), after sub-rule (3) of rule 63, the following sub-rule shall be inserted, namely Rule "63 (A):

The rules for recognition, regulation and control of Automated Testing Station, required under section 56 (2) of the Motor Vehicles Act, 1988, are specified in Appendix XV".

3 In the said rules, after Appendix XIV, the following shall be inserted, namely: -

"APPENDIX XV

RECOGNITION, REGULATION AND CONTROL OF AUTOMATED TESTING STATIONS

- 1. Short title and commencement These rules may be called the RULES FOR RECOGNITION, REGULATION AND CONTROL OF AUTOMATED TESTING STATIONS.
- **2 Applicability-** These rules deal with the recognition, regulation and control of Automated Testing Stations, the procedure for automated testing and grant of Certificate of Fitness to be followed by such Automated Testing Stations
- **3 Definitions** In this Scheme, unless the context otherwise requires, -
- (1) "Act" means Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).
- (2) "Automated Testing Station" means any automated testing facility, authorised by the State Government, where fitness testing may be conducted in accordance with these rules.
- (3) "Certificate of Fitness" means the certificate issued by a prescribed authority, as specified in Section 56(1) of Motor Vehicle Act 1988, or authorised testing station, in Form 38, to the effect that the vehicle complies, for the time being, with all the requirements of the Motor Vehicle Act and the Rules made thereunder.
- (4) "registering authority" for the purpose of said rules means an officer nominated by the State Government from Transport Department for the purpose of registering such Automated Testing Stations / facilities.
- (5) "Appellate Authority" for the purpose of rule 12, means any officer not below the rank of Transport Commissioner nominated by the State Government for the purpose of review of appeal against test result of an Automated Testing Station.
- (6) "Registration Certificate" means the authorisation certificate granted by the Registering Authority to the Automated Testing Station in Form 59.

- (7) "Owner" means a person, including any individual, company, association or body of individuals or special purpose vehicle or State Government, who is a registered owner of an Automated Testing Station;
- (8) "Operator" means a person, including any individual, company, association or body of individuals or special purpose vehicle or State Government, who is responsible for the management of affairs and operations of the Automated Testing Station, such as hiring of staff, conducting the tests on the vehicles, ensuring the integrity of the whole operations and facilitating the conduct of audit in accordance with these rules.
- (9) "End of Life Vehicle (ELV)" means all vehicles which are no longer validly registered; or their registration have been cancelled under chapter IV of the Motor Vehicle Act, 1988; or declared unfit after undergoing test/ re-test as prescribed in the said rules; or due to an order of a court or are self-declared by the legitimate registered owner as a waste vehicle due to any circumstances that may arise from fire, damage, mechanical breakdown, natural disaster, riots or accidents etc.
- **4** Authorisation Procedure for Automated Testing Station (1) No Operator of an Automated Testing Station shall issue or renew a Certificate of Fitness to a vehicle without a Registration Certificate in Form 59 granted by the registering authority.
- 2) An application for grant or renewal of a Registration Certificate under sub-rule (1) shall be made in Form 60 to the registering authority having jurisdiction in the area in which the station is situated and shall be accompanied by—
 - (a) Appropriate fee as specified in rule 17;
 - (b) A security deposit as specified in rule 17
- (3) A registering authority shall, when considering an application for the grant or renewal of a Registration Certificate, shall ensure that the applicant satisfies all the requirements as specified in rules 5 to 8.
- (4) The registering authority may, on receipt of an application under sub-rule (2), and after satisfying himself that the applicant has complied with the requirements of sub- rule (3), grant or renew the Registration Certificate in Form 59 within sixty days from the date of receipt of the application.

Provided that no application for a Registration Certificate shall be refused by the registering authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons for such refusal are given in writing by the registering authority.

- (5) All information regarding the objections/observations on the application for registration, approval or refusal of registration certificate, along with the reasons for refusal, shall be uploaded on such portal, as may be specified by the Central Government, within three working days of passing such order under subrule (4).
- **5 Eligibility** (1) The Owner of an Automated Testing Station may be the State Government or any individual, company, association or body of individuals or special purpose vehicle, through public-private partnership or otherwise.
- (2) The Operator of an Automated Testing Station may be the State Government or any individual, company, association or body of individuals or special purpose vehicle, through public- private partnership or otherwise.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the Owner of an Automated Testing Station may also be the Operator of such Automated Testing Station
- (4) The Owner and Operator of an Automated Testing Station shall possess:
 - i. Certificate of Incorporation
 - ii. Valid GST certificate
 - iii. Valid PAN
- (5) The Operator of an Automated Testing Station must have sufficient financial resources and adequately qualified manpower as per rule 8 to ensure continued operations and maintenance of the Automated Testing Station.

6 Conflict of Interest – (1) There shall be no conflict of interest during the course of operations that may arise or may be perceived due to financial or professional interest of the Operator of an Automated Testing Station and their obligations under these rules.

Explanation - For the purposes of this rule, financial or professional interest means any personal, financial, or other considerations that may have the potential to influence or compromise the professional behaviour of the Operator of an Automated Testing Station.

- (2) The Automated Testing Station shall act as test-only facility and shall not provide any services related to repair of vehicles or sale or manufacturing of auto spares.
- (3) Testing officials shall be required to maintain strict confidentiality of information regarding test results related to vehicle make and type.
- (4) Operator of an Automated Testing Station shall, at all times, function in a transparent and impartial manner and must sign an undertaking with regard to provisions of sub-rules (1), (2) and (3) as specified in Form 60.
- 7. Infrastructure requirement (1) Any test lane to be used for the purposes of testing, inspection and issuance of Certificate of Fitness shall have a minimum lane area for testing of 2-Wheeler/3-Wheeler as 500 sq. m; Light Motor Vehicle/ Medium/ Heavy Motor Vehicle as 1500 sq. m.
- (2) Automated Testing Station shall have commensurate space for defining test lane, as per the following table, and administrative block having space for booking/cash counters, waiting area, IT server and workstation, washrooms etc.

S. No.	Minimum Dimensions of a Test Lane (m)	3-Wheeler and Light Motor Vehicle	Medium and Heavy Motor Vehicle
1	Length	38	38
2	Width	7	7
3	Minimum length for turning at entrance	10	18
4	Minimum length for turning at exit	10	18

- (3) Adequate space shall be available for fitment of utilities like transformers, Low Tension/High Tension panels with safety protective devices, Gensets, Air Compressor, Uninterrupted Power Source (UPS), water coolers, fire protection and firefighting system with adequate capacity. Test lane area shall be provided with adequate ventilation system.
- (4) Automated Testing Station shall have adequate space for parking and free movement of vehicles brought for testing.
- (5) Necessary cyber security certifications shall be provided for the IT Systems for safe access to the VAHAN database as applicable.
- (6) Testing equipment and IT infrastructure shall be as per Annexure-XIII.
- **8** Manpower requirement -(1) The minimum requirement of manpower on the basis of number of lanes per shift shall be as under:

Serial No.	Designation	Minimum manpower	Minimum Qualification
		requirement	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Centre Head/Manager		Graduate in Automobile/Mechanical Engineering with at least 10 years of professional experience which includes at least 5 years of experience in vehicle

			inspection, manufacturing or repair.
2.	IT In charge/ System Analyst	2	MCA or B.E in Computer Science with at least 3 years of experience in Hardware and Networking.
3.	Data Entry Operator	2	Any Graduation Degree with basic computer knowledge.
4.	Driver (LMV/HMV)	2 per lane per shift	Driving license to drive Transport vehicles with minimum 5 years of driving experience.
5.	Lane In charge / Supervisor	1 per lane per shift	ITI in Motor Mechanics with minimum 3 years of experience in automobile repair and maintenance.
6.	Lane Operator	2 per lane per shift	ITI in Motor Mechanics with minimum 2 years of experience in automobile repair and maintenance.
7.	Maintenance Technician	1 per lane per shift	ITI in Air Conditioning and Refrigeration or ITI Electrician, with minimum 2 years of experience in electrical maintenance.

- (2) The Automated Testing Station shall ensure compliance with all relevant labour laws in India as applicable from time to time.
- **9.** Validity and renewal of Authorisation (1) A registration certificate or its subsequent renewal shall be valid for a period of five (5) years from the date of issuance or renewal, as the case maybe.
- (2) The registration certificate shall not be transferable.
- (3) In the event that the registration certificate is lost or destroyed, the holder of registration certificate shall intimate the facts to the registering authority which granted or renewed the registration certificate.
- (4) An application for issuance of duplicate registration certificate shall be made in Form 61, along with submission of appropriate fee, as specified in rule 17.
- (5) The registering authority may issue a duplicate registration certificate, clearly marked "Duplicate".
- (6) The duplicate registration certificate shall be immediately surrendered to the registering authority if the original is traced at a future date.
- 10. Testing Process and Procedure for issuance of Certificate for Fitness—(1) The appointment for fitness test shall be booked through an online portal specified by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) within six months from the date of notification of these rules.
- (2) The following documents/information shall be uploaded at the time of booking a slot
 - i. Registration Certificate (RC)
 - ii. Valid Insurance Certificate
 - iii. Valid Permit (As applicable)
 - iv. Mobile number and Email ID of the registered owner/ authorised signatory
- (3) The other details related to the vehicle, not limited to the following, shall be fetched automatically from the VAHAN database
 - i. Chassis Number
 - ii. Fuel
 - iii. Vehicle Class
 - iv. Vehicle Category

- v. Make/Model
- vi. Gross Vehicle Weight (GVW)
- vii. Month & Year of Manufacture
- viii. Speed Governor Serial Number (As applicable)
- (4) The list of tests to be conducted, along with the reference standards, shall be as per Annexure-XII (as applicable from time to time).
- (5) The data generation, processing and storage shall be done in a manner so as to ensure:
 - i. The database is stored in SQL data management software platform to enable easy exchange and analysis of data with other platforms.
 - ii. All automatic and manual data, along with the results of the tests performed on the vehicle, shall be automatically transmitted to a central server installed in the Automated Testing Station.
 - iii. The inspection, pass- fail criteria of a test are automatic and not editable by anyone.
 - iv. Any screen in the test lane shall not display any test results in terms of pass or fail. All test results shall be masked on the test lane with encrypted test data. The test report shall be generated automatically and electronically immediately after completion of all tests.
 - v. The data of the tests conducted and reports shall be kept in a secured facility and uploaded on VAHAN database.
 - vi. Photo of Vehicle and its Chassis and Engine number shall be captured by GPS enabled camera and shall be kept in a secured facility and uploaded on VAHAN database along with the data of the tests conducted and report.
- (6) The test report so generated shall be sent to the registered owner/ authorised signatory through electronic mode. The test report shall include the following:
 - i. Station Name and registration number
 - ii. Date and time of the test
 - iii. Vehicle details Registration number, Type, Make and Model
 - iv. Visual test results
 - v. Measured and permissible values of tests conducted
 - vi. Last date of equipment calibration of Automated Testing Station in respect of each equipment on which tests are conducted
- (7) The results shall also be integrated with VAHAN Database.
- 11. Re-testing Procedure (1) The vehicle that fails the required test, as specified in Annexure XII, will be given an opportunity to apply for re-test, as specified in sub-rule
- (2) of rule 11, after getting the defects (as specified in previous inspection) rectified from a suitable workshop.
- (2) The registered owner/ authorised signatory of the vehicle may opt for a re-test after depositing fee, as specified in Rule 81 of CMVR 1989.
- (3) The vehicle that fails such re-test shall be declared as End of Life Vehicle (ELV).
- (4) Notwithstanding anything contained in rule 11 (3), in the event of a decree of the Appellate Authority to conduct another test, the same shall be conducted.
- 12 Appeal against test results -(1) Any person aggrieved by the test result shall, within two days of the date of receipt of such result, submit an appeal to the Appellate Authority in **Form-62**, through a portal specified by MoRTH.
- (2) Such appeal shall be accompanied by the fee as specified in rule 17 and copy of the test result.
- (3) The Appellate Authority may order a partial or complete re-inspection of the vehicle, within five

working days of receipt of such appeal.

- (4) Consequent to the vehicle passing such re-inspection, the Appellate Authority shall order issuance of a Certificate of Fitness to such vehicle.
- (5) The decision of Appellate Authority shall be final and binding.
- **13** Audit -(1) The performance and functioning of an Automated Testing Stations shall be monitored through periodic audits, at such intervals as specified in sub-rule (3).
- (2) The registering authority shall appoint National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL)- accredited agencies for conducting such audits.
- (3) The audit of an Automated Testing Station shall be conducted every six months. The cost of such audit shall be borne by the Operator of such station.
- (4) The audit of Automated Testing Stations would cover the following aspects:
 - i. Test equipment completeness
 - ii. Equipment calibration at the required frequency
 - iii. Inspection procedures as prescribed in these rules
 - iv. Calibration process of machinery
 - v. Manpower as per prescribed qualification
 - vi. Sample check of at least 3 vehicles from each lane
 - vii. Data integrity
 - viii. Functioning of all the CCTVs installed in the Station
- (5) The registering authority, under exceptional circumstances, which are adequately recorded, may also conduct surprise audits of Automated Testing Stations. Cost of such audit shall be borne by the Operator of such station.
- (6) The officials of the Automated Testing Station shall be responsible for enabling and cooperating with the inspection at any point of time during office hours.
- (7) The audit report, as specified in **Form-63**, along with the photographic evidence, shall be uploaded on the VAHAN database.
- (8) In the event of the audit agency pointing out any discrepancy during the audit, the same shall be rectified within 7 days from the date of issuance of the audit report. The rectification report shall be submitted to the audit agency for approval. The Audit agency, if it so desires, may undertake re-audit for validation and approval.
- 14 Power of registering authority to suspend or cancel the registration certificate or forfeit security deposit -(1) After giving the holder of a registration certificate an opportunity of being heard, if the registering authority is satisfied that he has:
 - i. Failed to comply with the requirements laid down in rules 5 to 8.
 - ii. Failed to observe correct standards of testing before granting or renewing certificates of fitness, as noticed at the time of audit, or the frequency of accidents involving transport vehicles covered by certificates of fitness granted or renewed by the Automated Testing Station attributable to any mechanical defect of the vehicle
 - iii. Involved in any mala fide practice, it may –
 - a) Suspend the registration certificate for a specified period; and/or
 - b) Cancel the registration certificate; and/ or
 - c) Order forfeiture of the security deposit furnished by the Automated Testing Station
- (2) Where the security deposit is forfeited under sub-rule (1), the holder of the certificate, within thirty days of the receipt of the order of forfeiture, would remit to the registering authority the amount ordered to be forfeited so that the requirement of sub-rule (2) of rule 4 in relation to deposit of security is complied with.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

- **15. Appeal** Any person aggrieved by an order of the registering authority under sub-rule (5) of rule 4 or sub-rule (1) of rule 14, may, within thirty days of the receipt of the order, appeal to appellate authority.
- **16.** Procedure for appeal -(1) An appeal under rule 15 shall be submitted in the form of a memorandum, setting forth the grounds of objections to the order of the registering authority.
- (2) The appeal shall be submitted along with the requisite fee as specified in rule 17.
- (3) The appellate authority, after giving an opportunity to the parties to be heard and after such enquiry as it may deem necessary, pass reasoned orders within a period of forty-five days from the date of receipt of such an appeal.
- 17. Fees The fees which shall be charged under the provisions of this Chapter shall be as specified in the Table below:

Serial No.	Purpose	Amount	Rule in Appendix XV	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Grant or renewal of registration certificate for Automated Testing Station	Fifty Thousand rupees	4(2)(a)	56
2.	Security Deposit for registration certificate for Automated Testing Station	Five lakh rupees	4(2)(b)	56
3.	Issue of duplicate registration certificate for Automated Testing Station	Twenty-Five Thousand rupees	9(4)	56
4.	Appeal against test result(s) of Automated Testing Station	Two Thousand rupees	12(2)	
5.	Appeal under rule 16 of Appendix XV	Three Thousand rupees	16	

5. In the said rules, after Annexure XI, the following shall be inserted, namely. –

"ANNEXURE XII

TESTS TO BE CONDUCTED AT AN AUTOMATED TESTING STATION

(1) The grant and renewal of Certificate of Fitness shall be made at an Automated Testing Station only after carrying out the following tests specified in the Table given below:

[Table]

SI. No.	Item	Pass-Fail Criteria	Check Fitment	Visual/ Functional Test	Reference Rules / Standards for more details
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(1)	Headlamp dipped Beam	Yes	No	Functional	AIS-128
(2)	Headlamps Assembly	No	Yes	Visual	CMV Rule 105 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS-009 or AIS- 009 (Rev.1)
(3)	Top Lights	No	Yes	Visual	CMV Rule 107, 108 and AIS:008 or AIS-008 (Rev.1)

(4)	Stop Lights	No	Yes	Visual	CMV Rule 102 and AIS-008 or AIS-008
					(Rev.1) and AIS-009 or
					AIS-009 (Rev.1)
(5)	Parking Lights	No	Yes	Visual	CMV Rule: 109 and AIS-008 or AIS-008
					(Rev.1) and AIS-009 or
					AIS-009 (Rev.1)
(6)	Fog Lamps (if	No	Yes	Visual	AIS-008 or AIS-008
	fitted)				(Rev.1)
(7)	Warning Lights	No	Yes	Visual	CMV Rule: 108 and
	in Ambulance				AIS-125 (Part 1)
(8)	Number Plate Light	No	Yes	Visual	CMV Rule: 108 and AIS-008 or AIS-008
					(Rev.1) and AIS-009 or
					AIS-009 (Rev.1)
(9)	End-Outline	No	Yes	Visual	AIS-008
	Marker Lamps				or AIS-008 (Rev.1)
(10)	Direction Indicators	No	Yes	Visual	CMV Rule: 102 and AIS:008 or AIS-008
					(Rev.1) and AIS-009 or
					AIS-009 (Rev.1)
(11)	Hazard Warning	No	Yes	Visual	AIS:008 or AIS-008
	Signal lamp				(Rev.1) and AIS-009 (Rev.1)
(12)	Suppressor cap/ High Tension cable	No	Yes	Visual	-
(13)	Windscreen Wiper Blades	No	Yes	Visual	CMV Rule: 101, AIS- 045, IS: 15804 and IS: 15802
(14)	Windscreen Wiper System	No	Yes	Functional	CMV Rule: 101, AIS- 045, IS: 15804 and IS: 15802
(15)	FASTag	Yes	Yes	Visual	CMV rule 138A
(16)	Vehicle Location Tracking (VLT)	Yes	Yes	Visual	AIS-140
(17)	Device	X 7		X7' 1	CMVP 1 50 1 145 150
(17)	High Security Registration Plate (HSRP)	Yes	Yes	Visual	CMV Rule 50 and AIS- 159
(18)	Safety belt (Seatbelt)	Yes	Yes	Visual	CMV Rule 125(1-A) and
(10)	and your (sourcer)	200	103	, 15441	AIS-015 or IS
					15140:2003
(19)	Battery	Yes	Yes	Visual	IS-14257:2019
(20)	Silencer	No	Yes	Visual	CMV Rule 120 and IS
					10399:1998

(21)	Exhaust gas Emission (applicable for Petrol/CNG/LPG	Yes	No	Functional	CMV Rule 115 (2) (i)
	driven vehicles)				
(22)	Retro-Reflector	No	Yes	Visual	CMV Rule: 104,
	and reflective tapes				AIS-090 and AIS-037,
					AIS-057 and AIS-057 (Rev.1)
(23)	Rear under run protection device (RUPD) for N2, N3, T3	No	Yes	Visual	CMV Rule 124 (1A) and IS- 14812-2005
	and T4				
(24)	Lateral under run protection device (- LUPD) for N2, N3, T3 and T4	No	Yes	Visual	CMV Rule 124 (1A) and IS- 14682-2004
(25)	Speedometers	Yes	Yes	Visual	As per rule 117 and IS-
(20)		100	100	13341	11827-2008
(26)	Speed Governor	Yes	Yes	Visual and	CMV Rule:118 and
				Functional	AIS-018
(27)	Dashboard Equipment	No	Yes	Visual	AIS-071 (Part 1)
(28)	Horn	No	Yes	Visual and	IS-1884, CMV Rule: 119
				Functional	and IS-15796
(29)	Smoke Density (Free Acceleration test applicable for Diesel vehicles)	Yes	No	Functional	CMV Rule 115 (2) (ii)
(30)	Steering Gear	Yes	Yes	Functional	As per rule 98
(31)	Braking System	Yes	Yes	Visual and	AIS-128
				Functional	
(32)	Side Slip Test (This test applies to all categories of vehicles except 3-wheelers)	No	No	Functional	-
(33)	Priority Seats,	No	Yes	Visual	sub-rules (1) and (7) of
	Signs, securing of crutches/ canes/walker, hand rail/stanchions, controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility				rule 125C, AIS-052 (Rev. 1) and AIS-153

(34)	Wheel chair entry/housing/ locking arrangement for wheel chair for differently abled passengers and passengers with reduced mobility	No	Yes	Visual	sub-rules (1) and (7) of rule 125C, AIS-052 (Rev. 1) and AIS-153
(35)	Spray Suppression	No	Yes	Visual	AIS-013 (Rev. 1)
	Devices				
(36)	Rear View Mirrors	No	Yes	Visual	CMV Rule 125(2) and AIS- 002 (Part-1) & (Part-2) (Rev. 1), AIS-
					002
(37)	Safety Glass (Windscreen)	No	Yes	Visual	 a) CMV Rule 100 and IS:2553 (Part 2) b) BIS license marking for the vehicles registered from 1st
					April, 2021.
(38)	Suspension Test (Applicable for vehicles having GVW up to 3.5 ton excluding 3-wheelers)	No	No	Functional	-
(39)	Joint Play Test	No	Yes	Visual and	-
				Functional	
(40)	Tyres	No	Yes	Visual	CMV Rule 94 and 95
(41)	-	Yes	No	Visual and	AIS-038 (Rev.1)
(41)	Protection against electric shock (For Electric vehicles only) If system voltage is > 60 V DC or 30 V AC	Tes	140	Functional	AIS-038 (Rev.1)
(42)	Insulation Resistance Measurement Test (For Electric vehicles only) If system voltage is > 60 V DC or 30 V AC	Yes	No	Functional	AIS-038 (Rev.1)
(43)	State of Charge (SOC) Indicator on Dash board AIS-038 (Rev.1)	No	Yes	Visual	AIS-038 (Rev.1)

- (2) Interior and exterior vehicle inspection to be carried out before moving the vehicle to the test lane.
- (3) The test lanes at an Automated Testing Station will be segregated into 3 stations with the following tests conducted at each station:

Station-1	Station-2	Station-3				
RFID Authentication of Operator	RFID Authentication of Operator	RFID Authentication of Operator				
 Emission Test Horn Test Exhaust Noise Test Speedometer Test Speed Governor Test 	 Side Slip Test Front & Rear Suspension Test Service Brake & Parking Brake Test 	 Under Body Visual Inspection using Axle play detector Steering Angle test Head Light Test 				

- (4) All stations must have capability of reading RFID, smartcard or any equivalent device and the tests shall be operated remotely so as to any minimize manual intervention.
- (5) All Visual checks conducted in an Automated Testing Station shall be photographed using a mobile device and the record of the same shall be stored for audit purposes.

ANNEXURE XIII

EQUIPMENT SPECIFICATION FOR AUTOMATED TESTING STATION

- (1) The equipment used at an Automated Testing Station should be capable of measuring axle load as per SO-3467(E), dated 16th July 2018 and SO 3881(E), dated 6th August 2018.
- (2) The equipment should be able to test all categories of vehicle under fitness regime.
- (3) The software of the equipment shall allow the modification of the inspection system when necessary.
- (4) All equipment should be able to operate in the following environmental conditions:
 - i. Temperature range 0°C to 55°C
 - ii. Humidity up to 95%
 - iii. Dust: Typical Indian testing condition
- (5) The equipment used at an Automated Testing Station shall comply with the following specifications as given in the Table below:

			Technical Specification							
S. No.	Equipment		Light Commercial Vehicles	Medium and Heavy Commercial Vehicles						
1	Roller brake tester	a)	Maximum measurable brake load is at least of 6kN	a)	Maximum measurable brake load is at least of 40 kN.					
		b)	Difference in left & right braking efficiency	b)	Difference in left & right braking efficiency					
		c)	Brake load resolution <= 100N	c)	Brake load resolution ≤ 100N					
		d)	Suitable roller diameter, length and separation as per the Matrix given in clause (7) of this	d)	Suitable roller diameter, length and separation as per the Matrix given in clause (7) of this annexure					
		e)	annexure Provision for lifting and braking	e)	Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle					
		Ð	of roller for easy exit of vehicle f) Approximate Testing speed: 5 km/h ± 1 km/h		Approximate Testing speed: minimum 2.5 km/h					
		1)			Roller surface					
		g)	Roller surface	h)	Minimum frictional coefficient 0.6					
		i.	Minimum frictional coefficient 0.6 (Supporting documents need		(Supporting documents need to be provided).					
			to be provided).	i)	Service life: Minimum 25000					
		ii.	Service life: Minimum 25000 hrs		hrs					

		add be p so p	te:- For testing the 3- wheelers, one itional roller for the front wheel to provided in LCV lane. It should be positioned that the front wheel tests be done properly.		
2	Axle Weight Measurement	syst toge	Weighing scale for measurement of h axle weight is required. The tem should determine this by adding ether the axle weight, tare weight/b weight of the vehicle.	eac sys tog	Weighing scale for measurement of the axle weight is required. The stem should determine this by adding tether axle weight, tare weight/ Kerb ight of the vehicle.
		b)	Measuring range: 0 – 3000 kg	b)	Measuring range: 7000 kg - 18000
		c)	Resolution: 5 kg	۵)	kg
		d)	Accuracy ± 1%	c)	Resolution: 5 kg
				d)	Accuracy ± 1%
3	Suspension	a) .	Amplitude of excitation:		Amplitude of excitation: 6.5 mm +/-
	tester	(5.5 mm +/- 5 mm	5 n	nm
4	Side slip tester	a)	Suitable dimension of track plate length, weight and height	a)	Suitable dimension of track plate length, weight and height
		b)	Measuring range: ± 20 m/km	b)	Measuring range: ± 20 m/km
		c)	Measuring resolution: 1 m/km	c)	Measuring resolution: 1 m/km
		d)	Accuracy shall be ±1.0m/km		Accuracy shall be ±1.0m/km
5	Joint Play tester	a)	Maximum Force per plate is at least of 10 kN	a)	Maximum Force per plate is at least of 40 kN
		b)	Maximum movement on each side: 100 mm (Hydraulic)	b)	Maximum movement on each side: 100 mm (Hydraulic)
6	Automatic Steering Gear	a)	Capable of measuring angular movement up to $\pm 30^{\circ}$	a)	Capable of measuring angular movement up to ± 30°
	Play Detector	b)	Recording mechanism to measure wheel movement against steering movement	b)	Recording mechanism to measure wheel movement against steering movement
7	Automatic Head light tester	a)	Light Intensity range measure (min): 0-100,000 cd	a)	Light Intensity range measure: 0-100,000 cd
		b)	Illumination Intensity range measure: 0-200 lux	b)	Illumination Intensity range measure: 0-200 lux
		c)	Headlight tester must have autofocussing ability and should be capable of measuring headlamp with their Centres 500 mm to 1200 mm above ground level.	c)	Headlight tester must have autofocussing ability and should be capable of measuring headlamp with their Centres 500 mm to 1500 mm above ground level.
		d)	Vertical and horizontal measuring range: ± 50 cm/10 m (± 5 %).	d)	Vertical and horizontal measuring range: ± 500 mm/ 10 m (± 5 %).
		e)	Intensity maximum deviation: ±5% of reading.	e)	Intensity maximum deviation: ±5%.
		f)	Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails.	f)	Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails.

8	Opacimeter	AIS agen	quipment to meet relevant TAP/ standards and approved by testing icies specified under rule 126 of VR 1989	AIS age	Equipment to meet relevant TAP/ s standards and approved by testing ncies specified under rule 126 of VR 1989
9	Exhaust gas analyzer	a)	The equipment should measure gas emissions of gasoline, CNG, LPG as per CMVR/ TAP 115/116 or AIS 137	a)	The equipment should measure gas emissions of gasoline, CNG, LPG as per CMVR/ TAP 115/116 or AIS 137
		b)	Threshold limits as per relevant provisions in rule 115 of CMVR 1989	b)	Threshold limits as per relevant provisions in rule 115 of CMVR 1989
		c)	Measuring resolution to be as follows:	c)	Measuring resolution to be as follows:
		i.	CO: 0.01%	d)	CO: 0.01%
		ii.	CO2: 0.1%	e)	CO2: 0.1%
		iii.	HC: 1 ppm	f)	HC: 1 ppm
			O2: 0.02% for measured values % values & 0.1% for measured	g)	O2: 0.02% for measured values <= 4% values & 0.1% for measured values >= 4%
			es >= 4%	h)	NOx: 1 ppm
		v. vi.	NOx: 1 ppm Lambda: 0.001	i)	Lambda: 0.001
			RPM counter: 10 rpm	j)	RPM counter: 10 rpm
		d)	The maximum deviation allowed in the rpm counter shall be ± 20 rpm or ± 2 % of the reading, whichever is greater.	k)	The maximum deviation allowed in the rpm counter shall be ± 20 rpm or ± 2 % of the reading, whichever is greater.
		clam	e: - (i) Probe to be mechanically aped to the tail pipe for suitable ysis of exhaust gas.	clar ana	e: - (i) Probe to be mechanically mped to the tail pipe for suitable lysis of exhaust gas. Ambient air quality should not be
		distu		dist Suit	urbed due to exhaust gas emissions. table mechanism to be incorporated removal of exhaust gas from the
		for r shed	emoval of exhaust gas from the	she	d.
10	Speedomete r Tester/ Speed Governor Tester	a)	Suitable dimension of track weight, roller diameter and axle separation, as per the Matrix given in clause (7) of this annexure	a)	Suitable dimension of track weight, roller diameter and axle separation, as per the Matrix given in clause (7) of this annexure
		b)	Provision for lifting and braking	b)	Provision for lifting and braking of
		c)	of roller for easy exit of vehicle Measuring range: 20 – 160 km/h	c)	roller for easy exit of vehicle Measuring range: 25 – 100 km/h
		c) d)	Resolution: 1 km/h	c) d)	Resolution: 1 km/h
		e)	Accuracy ± 1 % of indicated reading	e)	Accuracy ± 1 % of FS
11	Sound level meter		Recommended as per IEC 60651/ IEC 61672-1	a)	Recommended as per IEC 60651/ IEC 61672-1
		b) I	Measuring level: ≥30dB to	b)	Measuring level: ≥30dB to ≤120dB
		≤120)dB	c)	Frequency A & C
		c)	Frequency A & C		

d) Accuracy - ± 1.5 dB	d) Accuracy: ± 1.5 dB		
e) Tripod stand mounted	e) Tripod stand mounted		
f) Build battery for power	f) Build battery for power		
source of charging from outlet of 220V AC and USB	source of charging from outlet of 220V AC and USB		
Level Meter to be clearly marked on	Note: - The location of the Sound Level Meter to be clearly marked on the test station.		

(6) The minimum IT hardware requirement for an Automated Testing Station is given in the Table below:

S No.	Equipment	Specification
1	Server specifications	a) Processor Type: 2xIntel Xenon Processor E5-2670 (2.60GHz/16-core/20MB/8GT-s QPI/130W) or better
		b) Processor: Minimum of 16 cores/Processor or better
		c) Memory: 64GB DDR3 ECC 1333 MHz or higher
		d) Power supply: 650W Redundant power supply
		e) Internal Storage: 7x900 GB SAS Disk 10 K rpm -
		Hot swap or better
		f) Warranty: 5 years onsite comprehensive warranty
2	Desktop specifications	a) Intel® 10th Generation Core™ i7 Processors or better
		b) 3.0 GHz base frequency, or better
		c) 1 TB 7200 RPM 3.5 HDD or better
		d) 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM or better
		e) 5 Years comprehensive onsite Warranty
3	Printer specifications	a) Laser and duplex printer (Black and Colour)
		b) PPM- 30 or better
		c) Page size supported-A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Minimum 76.2 x 210mm to Maximum 216 x 356mm)
		d) Print resolution - 600 x 600dpi or better
4	Number Plate Reader Camera	a) Frames per second : 50
		b) Megapixel: 2.0 or higher
		c) On VIF Protocol
		d) IP67
5	Speed dome Camera	a) Image sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
		b) 20X optical or better; / digital zoom camera
		c) 30x motorized zoom lens and auto focus
		d) Megapixel: 2.0 or higher
		e) IP67
		f) IK10
6	Network Video Recorder	a) Multiplex recording schedule options: manual, alarm, motion detection, timing

		h)	Multiplex operation: live view, record, play back, backup and remotely control the system simultaneously
		i) j)	HDMI and VGA output simultaneously at up to 1080P resolution
			H.265 High profile decoding
			2 SATA HDD interface: maximum 8TB storage capacity or more
7	Other equipment required	a)	Smart TV with CCTV viewer
		b)	CDs/LEDs for carrying out the test

(7) Characteristics of vehicle to be tested are given in the matrix below:

	3w		Qu	adricycle	4w (M1,	N1)		CV (M2,	HCV (M3, N3)			
Details								N2)		Trucks (N3)		Bus (M3)
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Front Axle wt (kg)	90	260	215	215	420	1285	1045	4150	1235	8951	360	6160
Rear Axle wt kg	205	780	308	308	315	1395	810	7840	810	10224	1360	8900
Kerb wt kg	203	800	474	474	730	2625	1210	5440	2045	19175	2660	15000
GVW kg	610	2150	823	823	935	3490	1960	11990	12990	47500	5000	22000
Wheelbase mm	1590	3070	1925	1925	2050	3264	2100	4500	2500	6750	2654	8350
Wheel Track mm Front	-	-	1143	1143	1300	1690	1310	2022	1410	2124	1630	2054
Wheel Track mm Rear	1150	1540	1143	1143	1315	1705	1343	1814	1406	1926	1486	1880
Length mm	2080	2510	2752	2752	1402	5226	3790	7965	4634	11994	5125	15000
Width mm	1100	1520	1312	1312	1495	2173	1500	2470	1870	2590	1910	2600
Height mm	1635	2070	1652	1652	1297	2750	1890	3410	2530	3940	2200	3730
Overhang Front mm	-	-	387	387	464	1297	760	2280	1050	1695	1000	2500
Overhang Rear mm	443	790	440	440	405	1375	710	2385	805	3484	1250	3560
Ground clearance mm	150	25 5	158	158	89	220	150	375	176	300	150	259
TCD m	-	-	6.96	6.96	8.33	12.6	8.5	19.7	12.3	23.99	11.17	23.4
TCCD m	-	-	7.32	7.32	7.95	13.5	9.8	21.2	14	25.5	12.84	27.2

6. In the said rules, after Form 58, the following Forms shall be inserted, namely: -

"Form 59

[See APPENDIX XV Rule 4(1)]

FORM OF REGISTRATION CERTIFICATE ISSUED TO AN AUTOMATED TESTING STATION

Registration certificate No
Dated

The registration cer to		• •	
		(Name and full address)	
for the establishmer Act at the premises	nt of an Autor	mated Testing Station under sub-secti	on (2) of section 56 of the
	••	(Address of the premises in full)	
		wal of Certificate of Fitness to transpehicles Act, 1988, and the Central Mo	
This registration cer	rtificate is val	id/ renewed from	
to	•••••		
Date			
			Registering Authority
			Seal of Registering Authority
		E (0	
		Form 60	
, pp		[See APPENDIX XV Rule 4(2)]	
		I FOR GRANT OR RENEWAL O TE FOR AUTOMATED TESTING	
	Applio	cation for	Please tick
Issue of a new Regi	stration certif	ïcate	
Renewal of Registra			
Request of duplicate			
1			
1. FOR OFFICE	USE		
Application No.			
Application Date			
Date			
Fee			
Security Deposit			
2. GENERAL IN	FORMATIO	<u>ON</u>	
1 Name			
2 Address			
3 Telephone			
4 Email ID			

[भाग I	[I—खण्ड 3(i)]		भारत	का राजपत्र	: असाधारण				39	
5 C	IN									
6 P.	AN									
7 G	ST									
8 St	tatus	Company	Firm	Trust	Society	Proprietor	Govt.	JV	PF	
(p	lease tick)									
							<u> </u>			
						Medium	Medium and Heavy Motor Vehicle			
3. N	umber of lanes		Light	Motor Vo	ehicle					
		L								
4. L	ocation									
5. N	umber of Empl	oyees								
	pplication No. f AHAN Databa									
	7111711\ Databa	SC								
7. <u>U</u>	NDERTAKIN(<u> </u>								
The	Applicant here									
a	-				•	r Central Motor V				
b						ertification for an				
С	Maintain strict and type	confidentiali	ty of inform	nation reg	garding test	results related to	vehicle m	ıake		
d	Not to be invo	lved in service	es of repair	of vehicl	es or manu	facturing/sale of	spares			
					Author	rised Signatory_				
						Date				
				Form 61						
	_					TE REGISTRA ING STATION	TION			
			[See APP]	ENDIX X	XV Rule 9]					
To										
The	Registering Aut	hority								
The Nun		ertificate of r				ntion, the Regist written off/ soiled 				

^{*}I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge the Registration certificate has not been suspended or cancelled under the provisions of the Act or Rules made thereunder and the circumstances explained above are true.

I/We do hereby apply for the iss	sue of a duplicate Registration certificate.
	on (date) have filed a complaint (copy enclosed) Registration certificate immediately after the loss has been noticed.
	Name
	Date:
	Signature
A DDI ICATION EODM EOD A	Form 62
1. Personal Details	APPEAL AGAINST TEST RESULT [See APPENDIX XV Rule 12(1)]
Name	
Address	
Contact Number	
Email ID	
Are you the registered owner of	of the vehicle? (Yes/ No)
2. Vehicle Details	
Registration Number	
Chassis Number	
Make	
Model	
3. Test Station Details	
Station Name	
Station Address	
Date of Test	
Was the vehicle tested at any of the series	other station as well? (Yes/ No) –
4. Complaint	
Details of the complaint:	

Has the	vehicle been repa	ired, altered	or a	ndjusted :	since?	(Yes/No)			
If yes, gi	ve details:								
(Please	attach the copy o	f the test resu	lt)						
				Form (63				
FODM	FOR AUDIT RE	EDODT OF A	NT A			TESTING ST	A TION	I I Coo A D	DENDIV VV
FURIVI	FOR AUDIT KI	EPORT OF F	AIN A		13(7)]	TESTING STA	ATION	(See Ar	PENDIA AV
Audit N	Number					of Audit			
Auditir	ng Agency				Audi	tor's Signature	e		
	ditor Name					8			
					1				
Station	Name				Stati	on Number			
	11,44110				State				
Registr	ration								
certific	ate Number			Operational Hours					
Addres	SS			Contact Number					
<u> </u>					1		1		
1. Regi	stration certificat	te		Yes			No		
availab	ole?								
2. Test	equipment comp	leteness and	calil	oration.					
S	Equipment	Ava	ailab	le (Yes/		Calibration		Date	of last
No.			No	0)		Frequency		calib	ration
1	Roller brake								
	tester								
2	Axle Weight								
	Measurement								
3	Suspension tester								
4	Side slip tester								
5	Joint Play tester								
6	Automatic Steerin	g							
	Gear								
	Play Detector								
7	Automatic Head								
	light tester								

8	Opacimeter	
9	Exhaust gas	
	nnalyzer	
10	Speedometer	
	Tester/ Speed Governor	
	Tester ester	
11	Sound level	
	neter	
Remark	•	

3. Availability of suitable Manpower

S	Designation	Number of	Compliance with	Remarks
No.		Staff	rules (Yes/ No)	
1	Centre			
	Head/Manager			
2	IT In charge/			
	System Analyst			
3	Data Entry			
	Operator			
4	Driver			
	(LMV/HMV)			
5	Lane In charge /			
	Supervisor			
6	Lane Operator			
7	Maintenance			
	Technician			

Remarks:

4. Sample check of vehicles to ensure compliance with testing process

Lane	Lane type	Compliance (Yes/ No)			Notes
	(HCV / LCV)	Vehicle-1	Vehicle-2	Vehicle-3	
Lane-1					
Lane-2					
Lane-3					
Lane-4					

Remarks:

5. Additional checks

S No.	Check	Yes	No
a.	IT system as per prescribed guidelines		
b.	Test result data masked and encrypted		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 43

c.	CCTV cameras installed and functional	
d.	Test data kept in secure facility and uploaded on	
	VAHAN	
e.	Lane screens do not display any test results	
f.	Staff working in multiple shifts	
g.	Infrastructure facilities as per guidelines	
h.	Appointment booking only through online portal	
Observe	ed non-compliance:	1
Correct	ive action to be taken:	

[F. No. RT-25035/05/2021-RS]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. (E) dated ______.